Inclusive INDIA

An Awareness Initiative of National Trust

समर्थ सशक्त संगठित

राष्ट्रीय न्यास

THE NATIONAL TRUST

Inclusive India : Empowered India

समावेशी भारतः सशक्त भारत

Contents

Pg. 1 *INCLUSIVE INDIA - What, Why, Where*
समावेशी भारत : पृष्ठभूमि

Pg. 3 *Inclusion: The Legal Mandate*
समावेश : विधिक जनादेश

Pg. 5 *Inclusive Education*
समावेशी शिक्षा

Pg. 7 *Inclusive Employment*
समावेशी रोजगार

Pg. 9 *Inclusive Community Life*
समावेशी सामाजिक जीवन

Pg.12 *Strategy for Inclusive India*
समावेशी भारत : एक रणनीति

Inclusive India What, Why, How

समावेशी भारतः पृष्ठभूमि

Inclusive India, is an endeavour by the **National Trust** for persons with developmental/ intellectual disabilities in India. Its aim is to spread the awareness to facilitate inclusion.

A broad term, Inclusion, can mean different things for different people. For example, it means policies that include different economic strata of society, it means gender equality, non-exclusion on the basis of religion, caste or creed and full participation of persons with disabilities in the society and place of work.

For the purpose of **Inclusive India Initiative** the focus is on inclusion of persons with intellectual and developmental disabilities. It means that persons with developmental disabilities live and participate in the community as citizens with equal rights. Inclusion is the opportunity to live and be valued for one's uniqueness and abilities – 'like everyone'. It should result in presence and participation of all people in a community with or regardless of disabilities.

समावेशी भारत, एक प्रयास है **राष्ट्रीय न्यास** (National Trust) का, देश के बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों को समाज की विभिन्न गतिविधियों में समाविष्ट कर एक समावेशी भारत के निर्माण करने का।

समावेश (Inclusion) शब्द का अर्थ विभिन्न संदर्भों तथा विभिन्न व्यक्तियों के लिये अलग–अलग हो सकता है किन्तु **समावेशी भारत पहल** का मुख्य लक्ष्य है बौद्धिक एवं विकासात्मक विकलांगताओं से प्रभावित दिव्यांगजन को समाज की सभी गतिविधियों में पूर्ण हिस्सेदार बनाकर उन्हें आत्मनिर्भरता के साथ एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करना।

इसका अर्थ है कि ये सभी दिव्यांगजन पूर्ण अधिकारों के साथ समाज की प्रत्येक गतिविधि में समान रूप से भाग ले सकें। अन्य व्यक्तियों के समान ये दिव्यांगजन भी अपने सामर्थ्य एवं विशिष्टताओं के आधार पर अपनी पहचान बना सकें। इस अभियान के माध्यम से हम ऐसे समाज की ओर अग्रसर होंगे जहाँ विकलांगता से प्रभावित एवं विकलांगतारहित व्यक्ति समान रूप से समाज में रहकर उसकी प्रत्येक गतिविधि का हिस्सा बन सकेंगे।

Aligned with the goals of the United Nations Convention for the Rights of People with Disabilities (UNCRPD), this initiative aims at full participation by persons with intellectual/developmental disabilities in their schools, colleges, communities and workplaces.

This will result in an enhanced sense of belonging for persons with developmental disabilities and significant human, social and economic development of the society, as communities become stronger when all are valued and included.

The vision of National Trust, working for the physical, economic and socio-cultural empowerment of persons with Autism, Cerebral Palsy, Intellectual Disabilities and Multiple Disabilities, is a world where people with intellectual disabilities and their families are valued and can participate equally in all spheres of society.

Created by an act of Parliament, the National Trust, is an autonomous body under the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, with a vision of a country in which disability is embraced as a natural part of diversity and is not avoided.

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2006 में जारी घोषणा पत्र (UNCRPD) के लक्ष्यों के अनुसार यह अभियान विकासात्मक एवं बौद्धिक दिव्यांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों की विद्यालयों, महाविद्यालयों, समाज तथा कार्यस्थलों में बराबर की भागीदारी के लक्ष्य को रेखांकित करता है।

समावेशीकरण के बढ़ने से न सिर्फ हमारे दिव्यांगजनों में अपनेपन की भावना का विकास होगा और उनका आर्थिक एवं सामाजिक विकास अधिक सुगम हो सकेगा बल्कि समाविष्ट होकर हमारा समाज अधिक मजबूत एवं सुखद हो सकेगा।

राष्ट्रीय न्यास का उद्देश्य ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, बौद्धिक एवं बहुविकलांग दिव्यांगजनों के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक–सांस्कृतिक सशक्तीकरण के लिए काम करना एवं ऐसे वातावरण को बनाना जहां बौद्धिक दिव्यांगजनों एवं उनके परिवार के लोगों को सम्मान मिले एवं वे समान रूप से भाग ले सकें।

राष्ट्रीय न्यास ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता तथा बहुविकलांगता के व्यक्तियों के लिये कार्य कर रहा है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्थापित इस स्वायत्त संस्था का उद्देश्य है कि मानसिक, विकासात्मक तथा बौद्धिक दिव्यांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों की वर्जना न करते हुये समाज समान रूप से उन्हें अंतर्निहित करें।

Inclusion: The Legal Mandate

UNCRPD	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)	RPwD ACT, 2016
Article 19: Living independently & being included in the community. **Article 24:** Inclusive setting as the first choice of education. **Article 30:** Participation in cultural life, recreation, leisure and sports.	**Goal 4:** Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. **Goal 8:** Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all. **Goal 11:** Make cities and human settlement inclusive, safe, resilient and sustainable. **Goal 16:** Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels.	**Article 5:** Right to live in the community. **Article 16,17,18:** all educational institutions to provide inclusive education. **Article 19 & 20:** Inclusive employment policies non-discrimination in employment. **Article 29 & 30:** Right for PwDs to participate in cultural life, recreational activities & sporting activities.

समावेश : विधिक जनादेश

यू.एन.सी.आर.पी.डी.	सतत विकास लक्ष्य	विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016
अनुच्छेद 19: स्वतंत्र रूप से रहना और समुदाय में शामिल होना अनुच्छेद 24: शिक्षा की पहली पसंद के रूप में समावेशी व्यवस्था अनुच्छेद 30: सांस्कृतिक जीवन, मनोरंजन, अवकाश और खेल में भागीदारी	लक्ष्य 4: समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना लक्ष्य 8: निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सभी के लिए उचित कार्य को बढ़ावा देना लक्ष्य 11: समावेशी, सुरक्षित, लचीला एवं टिकाऊ शहरों और बस्तियों को बनाना लक्ष्य 16: स्थायी विकास, सुलभ न्याय व्यवस्था हेतु शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना एवं सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और समावेशी संस्थानों को बनाना	अनुच्छेद 5: समुदाय में रहने का अधिकार अनुच्छेद 16, 17, 18: सभी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा समावेशी शिक्षा प्रदान करना अनुच्छेद 19 और 20: समावेशी रोजगार नीतियां, भेदभावरहित रोजगार अनुच्छेद 29 और 30: दिव्यांगजनों के लिए सांस्कृतिक जीवन, मनोरंजक गतिविधियों और खेल गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार

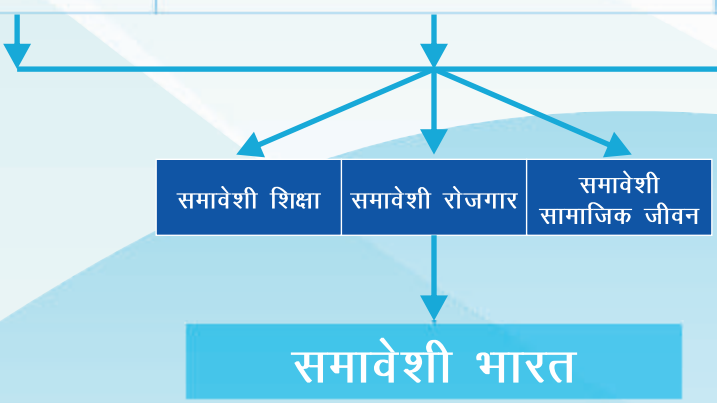

Inclusive Education

समावेशी शिक्षा

The UN Convention on the Rights of People with Disabilities and the UN Convention on the Rights of the Child education offer opportunities for each child or young person to maximize his or her potential in intellectual and social development. Schools are social environments, providing children and young people opportunity to meet their peers and learn different kinds of things from them. And, of course, to have fun. Inclusive education is thus essential to children and young people with intellectual disabilities.

Article 24 of UNCRPD clearly establishes inclusive settings as the first choice for education. It reiterates the right of children with disabilities to education, but furthermore explicitly sets the goal of full inclusion in the regular education system. To enable inclusion in the regular system, States are obliged to provide the necessary support.

विकलांग व्यक्तियों के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी घोषणा पत्र (UNCRPD) एवं बालशिक्षा के अधिकारों के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा प्रत्येक बालक तथा युवा को अपने बौद्धिक एवं सामाजिक विकास की पूर्ण क्षमताओं को प्राप्त करने के अधिकार को रेखांकित किया है। विद्यालय वह सामाजिक वातावरण प्रदान करते हैं जहाँ बालक तथा नवयुवक अपने साथियों के साथ मिलकर अनेकों चीजें सीखते हैं। अतः बालकों एवं नवयुवकों के बौद्धिक विकास के लिये समावेशी शिक्षा एक अनिवार्यता है।

यूएनसीआरपीडी का अनुच्छेद 24 स्पष्ट रूप से शिक्षा के लिए पहली पसंद के रूप में समावेशी तंत्र को रेखांकित करता है। यह शिक्षा के प्रति विकलांग बच्चों के अधिकार को दोहराता है एवं इसके अलावा नियमित शिक्षा प्रणाली में पूर्ण समावेश का लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है। नियमित प्रणाली में समावेश को शामिल करने के लिए, राज्य सरकारें आवश्यक समर्थन प्रदान करने के लिए बाध्य हैं।

Article 24 also states that education systems should be inclusive at all levels. It encourages disabled children and adults with disabilities, who lacked those opportunities when they were young to attend schools, at all levels on an equal basis with others. Children with disabilities should attend quality and free primary education. The article states that an inclusive system should provide reasonable accommodation, as well as a range of effective individualized supports that meet the needs of all students.

अनुच्छेद 24 में यह भी कहा गया है कि शिक्षा प्रणाली सभी स्तरों पर समावेशी होनी चाहिए। यह विकलांग बच्चों और विकलांग वयस्कों को प्रोत्साहित करता है, जो बचपन में उन अवसरों का लाभ नहीं ले पाये थे। विकलांग बच्चों को गुणवत्ता युक्त और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा में शामिल होना चाहिए। एक समावेशी प्रणाली को उचित आवास प्रदान करना चाहिए इसके साथ साथ निरंतर प्रभावी व्यक्तिगत सहायता जो सभी छात्रों की जरूरतों को पूरा करे।

Targets of the National Trust for Inclusive Education

1. Large-scale awareness initiatives on making the Schools and Colleges inclusive for the children and adults with Intellectual and Developmental Disabilities.

2. Working with the Human Resources Department, Ministry of Government of India, state Governments, Corporate sector organizations and philanthropist organizations for making the physical infrastructure of public and private educational institutes accessible and inclusive by providing necessary mobility aids and assistive devices, accessible information and social support.

राष्ट्रीय न्यास के समावेशी शिक्षा के सम्बन्ध में लक्ष्य

1. बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांग बच्चों और वयस्कों के लिए स्कूलों और कॉलेजों को समावेशी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता संबंधी पहल।

2. भारत सरकार के मानव संसाधन विभाग, राज्य सरकारों, कारपोरेट संस्थानों एवं जन हितैषी संस्थाओं के साथ मिलकर, सार्वजनिक एवं निजी शैक्षणिक संस्थाओं के भौतिक ढांचे को चलित उपकरण, सहायक उपकरण, सुलभ जानकारी आदि द्वारा सुगम्य एवं समावेशी बनाना।

Inclusive Employment

समावेशी रोजगार

Employment is much more than simply earning money. We meet new people and establish new friendships, it instills a feeling of self-worth and enables greater independence. Perhaps more importantly it affects how other people and society in general view us – attributing feelings of value, contribution, ability and capacity.

Unfortunately, there is a lack of employment opportunities for most persons with developmental disabilities. Organizational policies create layers of disadvantage and multiple barriers to employment. It often means overcoming negative employer attitudes and misconception which lead to being financially worse off (after covering costs of disability related support).

रोजगार केवल पैसा कमाने का साधन ही नहीं अपितु और भी बहुत कुछ है। हम नए लोगों से मिलते हैं और नई दोस्ती बनाते हैं, यह स्वयं की अहमियत का एहसास दिलाता है और अधिक स्वाधीनता का अहसास दिलाता है। शायद ज्यादातर महत्वपूर्ण यह है कि अन्य लोग एवं समाज हमें किस नजर से देखता है एवं हमें कितना महत्व देता है।

दुर्भाग्यवश, विकासात्मक विकलांगता से प्रभावित अधिकांश दिव्यांगजनों लिए रोजगार के अवसरों की कमी है। संगठन रोजगार के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों की परतें सृजित करते हैं और नाना प्रकार की बाधाएं खड़ी करते हैं। इसका कारण अक्सर नियोक्ता के नकारात्मक नजरिए और उस भ्रांति पर काबू पाना है जो दिव्यांग व्यक्तियों की आर्थिक अवस्था को और अधिक हानि पहुँचाते हैं।

Research and personal stories clearly demonstrate that persons with intellectual disabilities can and indeed want to work. When supported, they can be and are gainfully employed in meaningful jobs. Employers who hire persons with intellectual disabilities speak positively of their value as employees and their contribution to the workplace. Yet most employers fail to recognize the potential value in hiring people with intellectual disabilities, and certainly do not view them as a pool of potential employees.

To create a positive impact on employment creation for persons with intellectual disabilities, our focus is on helping employers understand that people with intellectual disabilities represent a huge untapped labor pool of motivated and competent individuals who could greatly assist in successfully meeting their labor force needs.

शोध और व्यक्तिगत कहानियां स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती हैं कि बौद्धिक दिव्यांग व्यक्ति वास्तव में काम कर सकते हैं और करना चाहते हैं। जब मदद दी जाती है तो वे सार्थक कार्यों में लाभप्रद रूप से नियोजित हो सकते हैं, और हैं। जो नियोक्ता बौद्धिक दिव्यांगजनों को नियुक्त करते हैं, कर्मचारी के रूप में उनके महत्व और कार्यस्थल पर उनके योगदान के बारे में सकारात्मक बातें करते हैं। फिर भी, ज्यादातर नियोक्ता बौद्धिक दिव्यांगजनों की संभावित कार्यक्षमता की पहचान करने में विफल रहते हैं और निश्चित रूप से उन्हें संभावित कर्मचारी के एक स्रोत के रूप में नहीं देखते हैं।

बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए, हमारा ध्यान नियोक्ताओं को यह समझाने में मदद करने पर है कि बौद्धिक दिव्यांगजन उत्प्रेरित और सक्षम व्यक्तियों के अत्याधिक अप्रयुक्त श्रम स्रोत हैं जो सफलतापूर्वक उनकी श्रम शक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता कर सकते हैं।

Targets of the National Trust for Inclusive Employment

Engaging at least 2000 corporate sector organizations, public and private, for creating awareness regarding inclusive employment, in year 2017-18

राष्ट्रीय न्यास का समावेशी रोजगार के समबन्ध में लक्ष्य

वर्ष 2017–18 में, समावेशी नियोजन के सम्बन्ध में कम से कम 2000 सार्वजनिक और निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र संगठनों में जागरूकता पैदा करना।

Inclusive Community Life

समावेशी सामाजिक जीवन

Mere physical presence within a community does not guarantee greater social inclusion. Taking part in activities, and using local facilities, does not necessarily lead to meaningful social contact with the mainstream population.

The Universal Declaration of Human Rights provides that "everyone has the right to freely participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits" (Article 27(1)). Recreation and leisure activities are a critical dimension of the quality of life for all people irrespective of their abilities. Everyone has the right to enjoy the arts. Everybody has the right to take part in sports. Everyone has the right to go to hotels, restaurants and bars. All people, regardless of abilities, should have access to, choice of, and an opportunity to participate in a full range of community activities.

किसी समाज के भीतर शारीरिक उपस्थिति बृहत्तसर सामाजिक समावेश की गारंटी नहीं है। गतिविधियों में भाग लेने और स्थानीय सुविधाओं का उपयोग करने से जरूरी नहीं है कि समाज की मुख्यधारा के साथ सार्थक सामाजिक संपर्क हो।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सांस्कृतिक जीवन में स्वतंत्र रूप से भाग लेने, कलाओं का आनंद लेने और वैज्ञानिक उन्नति और इसके लाभों में हिस्सा लेने का अधिकार है (अनुच्छेद 27 (1))। मनोरंजन और अवकाश गतिविधियां, लोगों की क्षमताओं के अनपेक्ष सभी के लिए जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण आयाम है। हर किसी को कला का आनंद लेने का अधिकार है । हर किसी को खेल में भाग लेने का अधिकार है। सभी को होटल, रेस्तरां और बार में जाने का अधिकार है। सभी लोगों को, उनकी क्षमताओं पर ध्यान दिए बिना, सामाजिक गतिविधियों की पूरी श्रृंखला में भाग लेने का अभिगम, विकल्प और अवसर होना चाहिए।

However, traditionally, recreation/leisure activities have not only been given low priority as an area in which support and assistance are provided but persons with developmental disabilities have faced barriers to this right to participation in the cultural life of the community.

For many the choice is limited to segregated recreation and leisure. When other opportunities are offered, they often involve taking groupings of people with disabilities to large public settings (e.g., malls, theaters, restaurants), while very little support is offered for individualized participation in community settings that offer greater opportunities for social connections and relationships.

In order to assist people to participate in integrated settings, it may be necessary to provide some support or accommodation. Support involves things like physically assisting the person to be part of the activity, and/or assisting him or her to be a part of social interactions. It can involve helping the person to acquire a particular skill and competency, adaptation of part or all of an activity, and/or use of adaptive devices and equipment.

Targets of Inclusive Communities

1. Working with the Persons with Intellectual and Developmental disabilities, their families, Civil Society organizations and State Governments to create a visibly significant impact about inclusion.

परंपरागत रूप से, विकासात्मक दिव्यांगजनों को समाज के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने के अधिकार के रास्ते में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

कई लोगों के लिए यह विकल्प पृथक मनोरंजन और अवकाश तक सीमित हैं। जब अन्य अवसरों की पेशकश की जाती है, तो उनमें बड़े सार्वजनिक स्थानों (उदाहरण के लिए, मॉल, थियेटर, रेस्तरां) में दिव्यांगजनों का समूहीकरण शामिल होता है, जबकि सामूदायिक स्थानों में, जो सामाजिक संपर्क और संबंध के लिए वृहत्तर अवसर प्रस्तुत करते हैं, व्यक्तिगत भागीदारी के लिए बहुत कम सहायता की पेशकश की जाती है।

एकीकृत वातावरण में भाग लेने में लोगों की सहायता करने के लिए, कुछ सहायता या समायोजन प्रदान करना आवश्यक हो सकता है। सहायता में, ऐसी चीजें शामिल हैं जैसे शारीरिक रूप से व्यक्ति को गतिविधि का हिस्सा बनने में सहायता करना, और/अथवा सामाजिक बातचीत का एक हिस्सा बनने में उनकी सहायता करना। इसमें व्यक्ति को कोई विशिष्ट कौशल और सामर्थ्य हासिल करने, किसी गतिविधि के भाग या पूरे में अनुकूलन करने, और/अथवा अनुकूल युक्तियों और उपकरणों का उपयोग करने में मदद करना शामिल हो सकता है।

समावेशी सामाजिक जीवन के लक्ष्य

1. राज्य सरकारों, स्वयं सेवी संस्थाओं, बौद्धिक दिव्यांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों तथा उनके परिवारों के साथ मिलकर सामाजिक गतिविधियों में समावेशीकरण के लिये महत्वपूर्ण एवं प्रभावकारी परिवर्तन लाना।

Strategy for Inclusive India

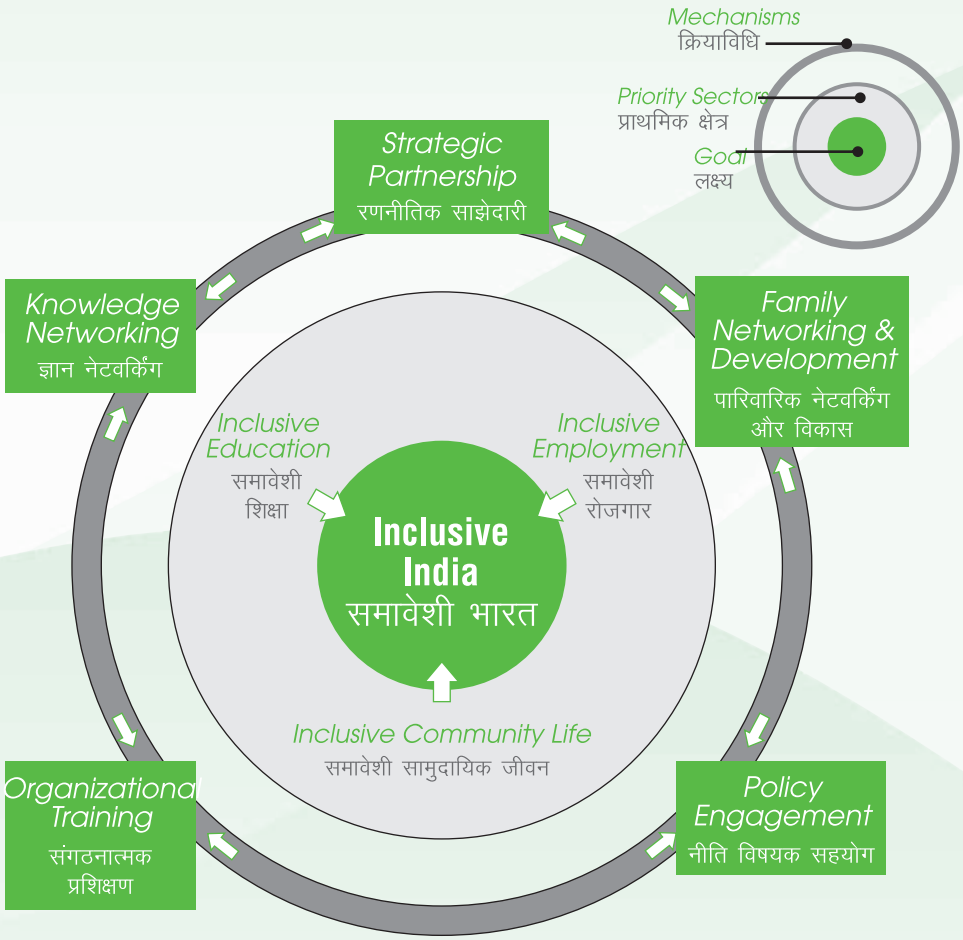

National Trust Strategy for Inclusive India Initiative

समावेशी भारत के लिए रणनीति

1. **Strategic Partnerships** – We shall create new connections, structures, relationships, and community leadership among key actors and organizations. While the NGOs working in the field of Intellectual and Developmental disabilities and registered organizations of National Trust will be the primary vehicle for mission of "Inclusive India", we shall form strategic partnerships with academic institutes of excellence, Government organizations, Community organizations like Rotary, Lions club etc.. National Trust will collaborate with Ministries of HRD, Tourism, Culture, Skill Development and Entrepreneurship for Inclusive Education and Inclusive Employment. The initiative will engage the state governments, especially, municipal corporations for creating inclusive play spaces and creating opportunities for unified sports.

1. **रणनीतिक भागीदारी** – इस पहल के लक्ष्य प्राप्त करने के लिये हम प्रमुख कर्ताओं और संगठनों के बीच नए संपर्क, संरचना, रिश्ते, और सामुदायिक नेतृत्व सृजित करेंगे। बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठन "समावेशी भारत" के मिशन के लिए प्राथमिक वाहन होंगे, हम उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी संगठनों, रोटरी, लायंस क्लब आदि जैसे सामुदायिक संगठनों के साथ रणनीतिक साझेदारी करेंगे। राष्ट्रीय न्यास समावेशी शिक्षा और समावेशी रोजगार के लिए मानव संसाधन विकास, पर्यटन, संस्कृति, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालयों के साथ मिलकर इन लक्ष्यों को पूरा करेगा। इस पहल में समावेशी खेल स्थल बनाने और एकीकृत खेलों के अवसर पैदा करने के लिए स्थान राज्य सरकारों, विशेषकर नगरपालिका निगमों को शामिल करेगा।

2. **Family Networking and Self Advocates -** The initiative will engage families in issues surrounding disabilities and inclusion and support organized groups of families to advocate for more inclusive communities. The National Trust plans to encourage and motivate about 1000 self-advocates in the field of inclusive education and inclusive employment.

3. **Policy Engagement-** Inclusive India initiative will focus on analysis of and responses to existing policy, and development of new policy or policy alternatives to ensure that they are inclusive, ensure integration of persons with intellectual disability by working with flagship national campaigns like "Smart Cities" and "Digital India". By working with "Sarv Shiksha Abhiyan", CBSE and NCERT schools will be made accessible and inclusive.

2. **पारिवारिक नेटवर्किंग और स्व–अभिवक्ता** – इस पहल के तहत समावशीकरण से सम्बन्धित विषयों में परिवारों को शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय न्यास द्वारा करीब 1000 स्व–अभिवक्ताओं को समावेशी शिक्षा और समावेशी नियोजन के लिए प्रोत्साहित और उत्प्रेरित करने की योजना है।

3. **नीतिगत वचनबद्धता** – समावेशी भारत पहल, समावेशन सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान नीति के विश्लेषण और प्रत्युत्तर, नई नीति या नीति विकल्पों पर ध्यान केन्द्रित करेगा। "स्मार्ट सिटीज" और "डिजिटल इंडिया" जैसे प्रमुख राष्ट्रीय अभियानों के साथ काम करके बौद्धिक दिव्यांगजनों का एकीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। "सर्व शिक्षा अभियान", सी. बी.एस.ई. और एन.सी.ई.आर.टी. के साथ मिलकर स्कूलों को सुगम एवं समावेशी बनाया जाएगा।

4. **Organizations Training and Knowledge Networking –** The initiative will also include activities that focus on gathering, analyzing, and using new and/or existing information relevant to policy and practice. It will also include active and strategic knowledge and information sharing between key actors and stakeholders in the sector (e.g., published reports, media, community forums, etc.) and public awareness raising among communities more generally.

4. **संगठन प्रशिक्षण एवं ज्ञान नेटवर्किंग –** इस पहल में वे गतिविधियां भी शामिल होंगी जिनमें नीति और व्यवहार से संबंधित नयी और / अथवा विद्यमान सूचना का संग्रहण, विश्लेषण और उपयोग पर फोकस हो। इसमें इस क्षेत्र (जैसे प्रकाशित रिपोर्ट, मीडिया, सामाजिक मंच, इत्यादि) के प्रमुख कर्ताओं और हितधारकों के बीच सक्रिय और रणनीतिक ज्ञान और सूचना की साझेदारी और सामान्य रूप से समाज में जनजागरुकता बढ़ाना भी शामिल होगा।

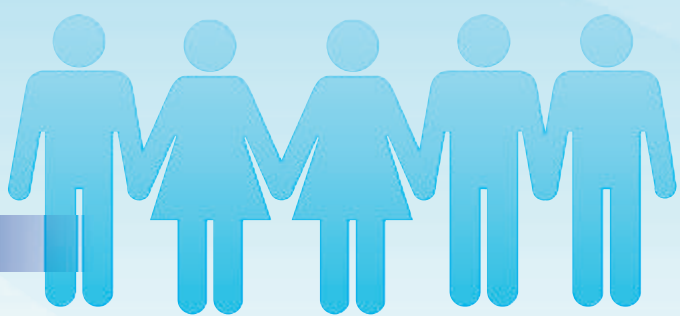

Inclusive INDIA

Connect with Us

www.inclusiveindia.in

facebook.com/India4Inclusion

twitter.com/India4Inclusion

National Conference on Down Syndrome
constitution club of india
Inclusive

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

राष्ट्रीय न्यास
The National Trust
स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता व बहुविकलांगता प्रभावित दिव्यांगजनों के कल्याण हेत
for the welfare of persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation & Multiple Disabilities
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)
सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India
16 बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली–110060
16 B, Bada Bazar Road, Old Rajinder Nagar, New Delhi - 110060
संपर्क / Ph: 011–43187878, बेवसाइट / Website: www.thenationaltrust.gov.in
https://www.facebook.com/thenationaltrust https://twitter.com/NationalTrust99